न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 40/2012

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
01.पुरखाराम पुत्र मोतीराम 02.हडमानराम पुत्र मोतीराम 03.कलाराम पुत्र मोतीराम 04.भलाराम पुत्र कानाराम जाति पटेल निवासीगण नारनाडी तहसील झंवर जोधपुर 05.तुलसी बेवा खेताराम 06.मंजु पुत्री खेताराम 07.भंवराराम पुत्र कानाराम 08.रामाराम पुत्र बेनाराम 09.रूकमा बेवा कानाराम जाति पटेल निवासीगण नारनाडी तहसील झवर जोधपुर।		01 वंशीसिह पुत्र श्री तुलसीसिह राजपुरोहित निवासी नारनाडी हाल सुभाष नगर के पास खेमे का कुआ जोधपुर 02.उम्मेदचन्द पुत्र रामचन्द सुथार निवासी बलदेव नगर मसुरिया जोधपुर 03.धवन कुमार पुत्र ओमप्रकाश दर्जी निवासी पाल तहसील व जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित ।

निर्णय दिनांकः– 15.10.2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 591 रकबा 06 बीधा 08 बिस्वा मे आई हुई है। जिसके प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 8 अभिलिखित सह खातेदार है खसरा नम्बर 591 के पश्चिम मे खसरा नम्बर 593 गैर मुमकिन रास्ता स्थित है जो प्रारम्भ से जोधपुर बालोतरा बाडमेर सडक रही है तथा इसके पश्चिम मे खसरा नम्बर 550 की भूमि स्थित है,जोधपुर से बाडमेर रोड का निर्माण करते समय सडक के मोड को समाप्त करने व मौके पर सिधी सडक के निर्माण वे उदेश्य से खसरा नम्बर 593 गैर मुमकीन सडक जो पहले चल रही थी उसको प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 591 मे शिफ्ट कर दिया गया अर्थात मौके पर ले आउट मे बदलाव किया गया मौके पर वर्षो पहले सडक का निर्माण कर दिया गया जो आज दिन भी मौके पर सडक निर्बाध रूप से चल रही है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 591 मे सडक निर्माण करते समय प्रार्थीगण द्वारा कोई एतराज नही किया गया व न प्रार्थीगण ने कोई मुआवजा प्राप्त किया उक्त सडक के निर्माण से खसरा नम्बर 591 की भूमि दो भागो मे विभाजित हो गई अर्थात मौके पर वर्तमान मे चल रही सडक के पूर्व व पश्चिम दोनो तरफ खसरा नम्बर 591 की भूमि रह गई खसरा नम्बर 591 की पश्चिमी माठ राजस्व नक्शे मे दर्शाये खसरा नम्बर 593 की भूमि स्थित जहॉ पहले रास्ता चलता था परन्तु नई सडक बन जाने के कारण उसका उपयोग बंद हो गया एव मौके पर जमीन खाली पडी हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 जो की स्वंय को खसरा नम्बर 550 के खातेदार बताते है उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे धारा 136 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया एव उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 18.12.2003 को आदेश पारित किया गया कि खसरा नम्बर 593 गैर मुमकीन रास्ता की 16 बिस्वा भूमि को खसरा नम्बर 550 के रकबे मे सम्मिलित करते हुए खसरा नम्बर 550 का रकबा बढा दिया जावे तो उक्त आदेश की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने उस आदेश के विरूद्व एक अपील सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय मे पेश की जो विचाराधीन है उक्त आदेश मे सम्भागीय आयुक्त ने अन्तरिम आदेश इस आशय का जारी किया कि खसरा नम्बर 593 की भूमि का वर्तमान वाद मे अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 कोई हस्तान्तरण नही करे। अप्रार्थीगण संख्या एक ता तीन ने प्रार्थीगण को जाते समय यह धमकी दी की वे खसरा नम्बर 591 की पश्चिमी माठ को तोडकर वर्तमान मे मौके पर चल रही जोधपुर बाडमेर सडक की सीमा तक कब्जा करेगे क्योकि अप्रार्थीगण एक ता दो ने खसरा नम्बर 550 की भूमि अप्रार्थी संख्या तीन के मार्फत किसी को विक्रय करने का वायदा किया है एवं मौके पर खरीददार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

को वर्तमान मे चल रही जोधपुर बाडमेर सडक की पश्चिमी सीमा तक की भूमि का कब्जा मोके पर केता को सुपुर्द करने पर ही बेचाननामे का निष्पादन होगा इस कारण वे खसरा नम्बर 591 की पश्चिमी मांठ को तोडकर मौके पर भूमि सडक तक समतल करेगें खसरा नम्बर 593 गैर मुमकीन सडक के पश्चात की खसरा नम्बर 550 की भूमि की सीमा शुरू होती है इस कारण अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 550 के पूर्व मे स्थित खसरा नम्बर 593 अथवा 591 के किसी भाग पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो वे प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 591 की मांठ को तोडकर इस पर कब्जा कर लेगे जिससे प्रार्थीगण को अपार नुकसान होगा मौके के हालात बदल जावेगे इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम नारनाडी के खसरा नम्बर 591 रकबा 06 बीधा 08 बिस्वा के वादग्रस्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण किसी प्रकार से नही किया जावे एव राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया अप्रार्थीगण को जबाव वास्ते अनेक अवसर किया जाने के बावजूद जबाव पेश नही किया जाने कारण जबाव बन्द किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया गया जिस पर सुना गया ।

अप्रार्थी अधिवक्ता को बहस वास्ते अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नही।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 591 रकबा 06 बीधा 08 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे। तथा मूल वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्या मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम नारनाडी तहसील झंवर के खसरा नम्बर 591 रकबा 06 बीधा 08 बिस्वा मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस) अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाय गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी अधिकारी,
सहायक कलक्टर
लूणी